बंकटलाल

बनाम

विशेष भूमि अर्जन पदाधिकारी एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 6087-6087 ए, 2002)

जून 30, 2014

[सुधांसु ज्योति मुखोपाध्याय और कुरियन जोसेफ, जे.जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-धारा 11 ए-प्रयोज्यता, जहां भूमि नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की गई है-माना गया: नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों को छोड़कर अपने आप में पूर्ण कोड है, जो राज्य अधिनियम में विधायी रूप से शामिल किया गया था-भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बाद के संशोधनों में अधिनियम, 1984 में धारा 68 के तहत किए गए संशोधन सम्मिलित करना शामिल हैं। 11 ए का नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 के तहत किए गए या किए जाने वाले अधिग्रहण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा-11 ए तथ्यों पर, नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 के तहत की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही धारा से प्रभावित नहीं है। क्योंकि उक्त धारा उस फैसले के 10 साल बाद लागू की गई थी जिसमें पुरस्कार को अवैध घोषित किया गया था-नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966।

समीक्षा-समीक्षा आवेदन-रखरखाव-आयोजित: वैधानिक प्रावधान के अभाव में, समीक्षा आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है-स्पष्टीकरण की आड़ में भी, पहले के आदेश को संशोधित या सही नहीं किया जा सकता है। तथ्यों के आधार पर, इस प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक नहीं है कि क्या कलेक्टर के पास योग्यता के आधार पर समीक्षा की शक्ति है, इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप है।

इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11ए उन मामलों पर लागू होती है जहां भूमि का अधिग्रहण नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

जिस भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी, वह अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती के स्वामित्व में थी। नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 की धारा 39 के तहत उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद धारा 45 के तहत घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 9(3), (1) और (2) के तहत नोटिस दिए गए। इसके बाद अपीलकर्ता के पिता-डीजेएस, डीजेएस ने मुआवजे का दावा किया। इसके बाद, पुरस्कार पारित 1894 के अधिनियम की धारा 11 के तहत किया गया जो मुआवज़ा तय करता है। डीजेएस ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इसके बाद, अधिग्रहण

प्राधिकारी ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने केवल डीजेएस के पक्ष में भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के संबंध में पुरस्कार को रद्द कर दिया। इसके बाद, डीजेएस की मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की और अंतरिम रोक लगा दी गई। लंबित रहने के दौरान, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11ए को 24 सितंबर, 1984 से लागू किया गया। अपीलकर्ता ने रिट याचिका वापस ले ली और बाद में अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने पत्र दिनांक 20 जून, 1998 द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11ए में निहित प्रावधानों के आधार पर, अधिग्रहण कार्यवाही में नया पुरस्कार पारित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रतिवादी नं. 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उक्त आदेश को वापस लेने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 ने 20 जून, 1998 के आदेश को वापस ले लिया और आदेश दिया कि मामले को फिर से खोला जाए। व्यथित, अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 3 (सी) में परिभाषित कलेक्टर एक "अदालत" नहीं है और समीक्षा की शक्ति स्पष्ट रूप से कलेक्टर को प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार, उसके पास कोई शक्ति नहीं है कि इसके निर्णयों की समीक्षा करें/आदेश पारित; और वह प्रतिवादी सं. 1 ने इस तथ्य पर विचार नहीं

किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा11ए के प्रावधानों को 1984 के अधिनियम 68 की शुरुआत की तारीख पर लंबित कार्यवाही पर भी लागू किया गया था क्योंकि पुरस्कार को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। प्रतिवादी नं. 1 ने तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी एक अदालत होने के नाते अपने आदेश को वापस ले सकता है और इसलिए, 20 जून, 1998 के आदेश को वापस लेने में उसके द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई। इसके बाद अपीलकर्ता ने उत्तरदाताओं को कुछ निर्देशों के लिए रिट याचिका में एक आवेदन दायर किया। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिट याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ दायर समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई। इसलिए, तत्काल अपील।

न्यायालय ने अपीलों को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों को छोड़कर, नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 अपने आप में पूर्ण संहिता है, जिन्हें राज्य अधिनियम में विधायी रूप से शामिल किया गया था। 1984 के अधिनियम 68 के तहत धारा 11ए शामिल करने सहित भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बाद के संशोधनों का नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 के तहत किए गए या किए जाने वाले अधिग्रहण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। [पैरा 25] [898-एबी]

गिरनार ट्रेडर्स (3) बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2011 (3) एससीआर 1:(2011) 3 एससीसी 1-अनुसरण किया गया।

नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम वसंतराव एवं अन्य 2002 (2) एससीआर 636: (2002) 7 एससीसी 657-संदर्भित।

2. वैधानिक प्रावधान के अभाव में समीक्षा आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। स्पष्टीकरण की आड़ में भी, पहले के आदेश को संशोधित या सही नहीं किया जा सकता है। [पैरा 26] [898-सी]

कलाभारती एडवरटाइजिंग बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचानिया और अन्य 2010 (10) एससीआर 971:(2010) 9 एससीसी 437-पर निर्भर।

3.1. प्रतिवादी संख्या 2 ने तर्क दिया कि रिट याचिका संख्या 452/1968 में अपीलकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दी और पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने केवल मुआवजे के पहलू को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा में कहा गया है कि नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम की अनुसूची के पैराग्राफ 10(2) और 10(3), जहां तक वे धारा 23 में एक नया खंड 3(ए) और उप-धारा (2) में एक प्रावधान जोड़ते है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23 अधिकार के बाहर है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की गारंटी का उल्लंघन है और उक्त कारणों से, रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देशित किया।

उक्त पहलू पर विचार करने के बाद एक नया पुरस्कार पारित करें और पार्टियों को केवल मुआवजे के हिस्से की सीमा तक पूरा अवसर दें। प्रतिवादी नं. 2 ने प्रस्तुत किया कि पुरस्कार को तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया था, इसलिए, नया पुरस्कार पारित करने के निर्देश के साथ मामला भूमि अधिग्रहण अधिकारी को वापस भेज दिया गया था। जहां तक अपीलकर्ता का सवाल है, वह कृषि भूमि का मालिक होने का दावा करता है और उसे प्रतिवादियों की उस योजना से कोई सरोकार नहीं है जिसके लिए अन्य भूमि विचाराधीन है। प्रश्नाधीन भूमि का कब्ज़ा बहुत पहले 1971 में लिया गया था। उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने 1981 के बाद से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 से अधिक फ्लैट विकसित और आवंटित किए हैं। नागपुर सुधार ट्रस्ट योजना को लागू करने के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भूमि का कब्ज़ा लेने के बाद, भूमि को छोटे आकार के भूखंडों में विकसित किया गया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवंटित किया गया। दलील यह है कि मौजूदा मामले में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11ए द्वारा प्रभावित नहीं चल रही है, क्योंकि उक्त धारा 24 सितंबर, 1984 को लागू की गई थी यानी 8 जुलाई, 1974 के फैसले के 10 साल बाद, जिसमें पुरस्कार को अवैध घोषित किया गया था, स्वीकार किया जाता है। [पैरा 21] [891-एच; 892-एएच]

3.2. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आक्षेपित

निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणी की कि "इस न्यायालय द्वारा संदर्भित निर्णय में की गई टिप्पणियों का अवलोकन, निस्संदेह यह स्पष्ट करता है कि पुरस्कार को किसी भी प्रक्रियात्मक अवैधता अभाव के कारण रद्द नहीं किया गया था। हालाँकि, इसे केवल प्रावधानों की सीमा तक रद्द कर दिया गया था, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दिया गया, जो निस्संदेह केवल मुआवजे के पहलू से संबंधित है।" वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11(ए) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि पुरस्कार वर्ष 1984 में धारा 11(ए) के अस्तित्व में आने से पहले ही दिया जा चुका था। इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह विफल हो जाती है।" ऐसे निष्कर्ष के मद्देनजर, यह सवाल तय करना जरूरी नहीं है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार कलेक्टर के पास योग्यता के आधार पर समीक्षा की शक्ति है, ऐसा नहीं है। [पैरा 27, 28] [898-डीएच; 899-ए]

3.3 अपीलकर्ता ने दिनांकित 17.01.1992 सरकारी संकल्प के लाभ के लिए अपीलकर्ता की पात्रता पर विचार करने के लिए आईए दायर करके एक वैकल्पिक प्रार्थना की, लेकिन उत्तरदाताओं के वकील ने बताया कि अपीलकर्ता ने पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके ऐसी राहत का दावा किया था जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर

दिया था। इसलिए, तत्काल अपील में ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती है। निर्णय सुरक्षित रखा गया था, अपीलकर्ता ने एक और आईए दायर किया जिसमें कहा गया कि "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम" 1 जनवरी, 2014 से लागू हो गया है, लेकिन ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेने की कोई इच्छा नहीं है जो उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। [पैरा 29, 30] [899-बीडी]

केस कानून संदर्भ:

2002 (2) पूरक एससीआर 636 को संदर्भित	पैरा 23
2011(3) एससीआर अनुसरण	पैरा 24
2010 (10) एससीआर 971 पर निर्भर	पैरा 25

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: संख्या 6087-6087 ए/2002।

बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के सिविल आवेदन संख्या 286/2000 और रिट याचिका संख्या 593/1999 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.12.2000 और 28.08.2000 से उत्पन्न।

अपीलकर्ता के लिए सीयू सिंह, मनीष पितले, सुनील कुमार (चंद्र शेखर आश्री के लिए)।

उत्तरदाताओं के लिए सत्यजीत ए.देसाई, सोमनाथ पधान, अनघा

एस.देसाई।

न्यायालय का फैसला सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील रिट याचिका संख्या में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ द्वारा पारित 28 अगस्त, 2000 और 19 दिसंबर, 2000 के आक्षेपित फैसले और आदेशों के खिलाफ निर्देशित है। रिट याचिका संख्या 593/99 में क्रमशः 593/99 और एमसीए संख्या 286/2000 अपने पहले आदेश से, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया और दूसरे आदेश से, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया।

2. निर्धारण हेतु प्रश्न यह उठता है कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11ए लागू है। ऐसे मामलों में जहां भूमि का अधिग्रहण नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

3. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है:

भूमि के अधिग्रहण के लिए नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 की धारा 39 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। 10.80 एकड़ जमीन खसरा नंबर 1/1, मौज पारडी, तहसील एवं जिला, नागपुर, नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम की धारा 39 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की

धारा 4 के समान है। उक्त भूमि दूसरे प्रतिवादी की पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र सड़क योजना के लिए अधिग्रहित की गई थी।

4. अपीलकर्ता के अनुसार, उपरोक्त भूमि का स्वामित्व उनके पूर्ववर्ती स्वर्गीय धनराज जालूराम सारदा (अपीलकर्ता के दादा) के पास था।

5. नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम की धारा 45 के तहत एक घोषणा 16 मार्च, 1967 को जारी की गई थी। उपरोक्त धारा 45 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के समान है। इसके बाद, धारा 9(3) के तहत 31 जुलाई, 1967 को एक नोटिस जारी किया गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 स्वर्गीय धनराज जालूराम सारडा को तामील कराया गया। साथ ही, स्वर्गीय धनराज जालूराम सारडा को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 9(1) एवं (2) के तहत दिनांक 8 अगस्त, 1967 का नोटिस भी तामील कराया गया।

6. इसके अलावा, अपीलकर्ता का मामला यह है कि उनके पूर्ववर्ती स्वर्गीय धनराज जालूराम सारदा ने 31 जनवरी, 1968 ($ 2,00,000/- प्रति एकड़) पर मुआवजे का दावा किया और उसके बाद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार का दावा किया। 1894 को प्रथम प्रतिवादी द्वारा 27 अप्रैल, 1968 को पारित किया गया था। 10.8 एकड़ के लिए तय किया गया मुआवजा 8,100/- रुपये था, जो पहले प्रतिवादी के अनुसार पहली अधिसूचना की तारीख यानी 13 जून, 1963 से था। 13 जून,

1963 से उक्त राशि के भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष अधिग्रहण के तहत संपत्ति का उचित बाजार मूल्य था। उपरोक्त राशि ब्याज सहित देय थी।

7. उस समय स्वर्गीय धनराज जालूराम सारदा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक विशेष नागरिक आवेदन दायर किया, जिसमें 27 अप्रैल, 1968 के फैसले को चुनौती दी गई और प्रतिवादी संख्या 1 पर निर्देश देने की मांग की गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में दिए गए अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर उसकी भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध उसे देय मुआवजे का निर्धारण करना। उन्होंने आगे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित 13 जून, 1963 और 16 मार्च, 1967 की अधिसूचनाओं को रद्द करने की प्रार्थना की, क्योंकि यह उनकी भूमि से संबंधित है; उक्त रिट याचिका में नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1936 की अनुसूची के खंड 10(3) को भी चुनौती दी गई थी। एक और प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी संख्या 3 को नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 की धारा 68 के तहत उसके आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जाए और साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया जाए कि आवेदन पर निर्णय के अनुसार कार्य करना।

8. 18 मई 1968 को स्वर्गीय धनराज जालूराम सारडा की भूमि का कब्ज़ा अवासि प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया। लगभग एक महीने के बाद यानी 10 जून, 1968 को उच्च न्यायालय ने मामले को स्वीकार कर

लिया और उक्त विशेष सिविल आवेदन संख्या 452/1968 पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद, 8 जुलाई, 1974 के फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "तदनुसार, सभी तीन मामलों में लगाए गए पुरस्कारों को अलग रखा जाता है और मामले को उपरोक्त संशोधनों के बिना भूमि अधिग्रहण अधिनियम में वापस भेज दिया जाता है।" नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम की अनुसूची के पैरा 10(2) और 10(3), पक्षों को आगे की दलील देने और सबूत पेश करने का पूरा अवसर देने के बाद इस सीमा तक, याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। कोई आदेश नहीं होगा लागत के लिए।"

9. उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि दिनांक 27 जुलाई, 1968 का पुरस्कार केवल स्वर्गीय धनराज जालूराम सारडा के पक्ष में भुगतान किये जाने वाले मुआवजे के संबंध में रद्द किया गया था।

10. अपीलकर्ता के अनुसार, स्वर्गीय धनराज जालूराम सारदा ने 1 मई, 1980 को एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसके तहत वर्तमान अपीलकर्ता ने वसीयतकर्ता के रूप में प्रश्नगत संपत्ति का स्वामित्व और उस पर ब्याज अर्जित किया था, अर्थात वह संपत्ति जिसे उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई थी।

11. इसके बाद, 13 मई, 1982 को धनराज जालूराम सारदा की मृत्यु के बाद, वर्तमान अपीलकर्ता ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 191/1984 दायर की। इसे स्वीकार कर लिया गया और 1 फरवरी, 1984 को उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक लगा दी गई।

12. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11 ए को 24 सितंबर, 1984 से लागू किया गया था। 19 सितंबर, 1991 को अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका संख्या 191/1984 वापस ले ली गई, प्रभावी रूप से उस तारीख से उपरोक्त रिट याचिका में अंतरिम रोक समाप्त हो गई।

13. अपीलकर्ता ने बाद में अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक नियमित सिविल मुकदमा संख्या 2915/1991 दायर किया। चूंकि अपीलकर्ता द्वारा अंतरिम आदेश के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था, ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त मुकदमे में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11ए के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई अंतरिम आदेश या कोई आदेश पारित नहीं किया।

14. प्रतिवादी सं. 1 ने अपने दिनांक 20 जून, 1998 के पत्र द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11ए में निहित प्रावधानों के आधार पर, अधिग्रहण कार्यवाही में नया

पुरस्कार पारित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1के समक्ष एक आवेदन दायर किया। राजस्व प्रकरण क्रमांक 105/ए-65/1966-67 में पारित आदेश दिनांक 20 जून 1998 को वापस लेने हेतु 18 अगस्त 1998 को। अपीलकर्ता ने उक्त आवेदन पर अपना उत्तर 18 दिसंबर, 1998 को दाखिल किया।

15. प्रतिवादी संख्या 1, उसके बाद 2 दिनांकित आदेश द्वारा जनवरी, 1999 ने मामले पर पुनर्विचार किया और 20 जून, 1998 के आदेश को वापस ले लिया और आदेश दिया कि मामले को फिर से खोला जाए। इसने 8 जुलाई, 1984 के उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए एक पुरस्कार पारित करने का मामला तय किया।

16. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित 2 जनवरी, 1999 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष रिट याचिका संख्या 593/1999 प्रस्तुत की। रिट याचिका में अपीलकर्ता ने निम्नलिखित तर्क उठाए:

(ए) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 3 (सी) में परिभाषित कलेक्टर एक "अदालत" नहीं है और इस प्रकार उसके पास पारित निर्णयों/आदेशों की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है।

(बी) समीक्षा की शक्ति स्पष्ट रूप से कलेक्टर को प्रदान की जानी चाहिए, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अनुपस्थित है।

(सी) आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई अवसर नहीं दिया गया था।

(डी) प्रतिवादी संख्या 1 ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11ए के प्रावधानों को 1984 के अधिनियम 68 की शुरुआत की तारीख पर लंबित कार्यवाही पर भी लागू किया गया था। चूंकि 27 अप्रैल, 1968 का पुरस्कार पहले ही रद्द कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8 जुलाई, 1984 के अनुसार, 8 जुलाई, 1984 के बाद वास्तव में कोई पुरस्कार अस्तित्व में नहीं था और यह पुरस्कार माननीय द्वारा पारित आदेश की तारीख से 2 साल के भीतर पारित किया जाना था। 'उच्च न्यायालय या किसी भी मामले में, 19 सितंबर, 1991 से 2 साल के भीतर, यानी वह तारीख जब वर्तमान याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 191/1984 वापस ले ली थी और अंतरिम आदेश अस्तित्व में नहीं था।

17. प्रारंभ में, 9 फरवरी, 1999 को उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर अंतरिम रोक की अनुमति दी। उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब दायर किया, यह तर्क देते हुए कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी अदालत में होने के कारण अपने आदेश को वापस ले सकता है और इसलिए, 20 जून, 1998 के आदेश को वापस लेने में उसके द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई।

18. अपीलकर्ता ने एक सिविल आवेदन संख्या 3159/1999 को उपरोक्त रिट याचिका में 7 जुलाई 1999 को उत्तरदाताओं को कुछ निर्देश देने हेतु प्राथमिकता दी। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की डिवीजन बेंच ने 28 अगस्त, 2000 के आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया:

> "10. 8 जुलाई, 1987 के उपरोक्त संदर्भित फैसले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अवलोकन निस्संदेह यह स्पष्ट करता है कि किसी भी प्रक्रियात्मक अवैधता के अभाव में पुरस्कार को रद्द नहीं किया गया था; हालाँकि, इसे केवल उन प्रावधानों की सीमा तक रद्द कर दिया गया था, जिनका यहां ऊपर उल्लेख किया गया है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दिया गया था जो निस्संदेह केवल मुआवजे के पहलू से संबंधित है।
>
> 12. इसलिए, हमारे लिए यह स्पष्ट है कि यह वह मामला नहीं है जहां वर्ष 1984 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में धारा 11(ए) पेश किए जाने के बाद प्रतिवादी पुरस्कार पारित करने में विफल रहे। यह पुरस्कार पहले ही 1967 में दिया जा चुका था। हालाँकि,

ऊपर बताए गए कारणों से, जिसका हिस्सा उन प्रावधानों पर आधारित था जो अच्छे कानून नहीं थे। पुरस्कार को रद्द कर दिया गया था और केवल उस सीमा तक अलग रखा गया था और निर्देश दिया गया था इस संबंध में याचिकाकर्ता को उचित अवसर देकर मुआवजे के पहलू पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।"

19. एमसीए संख्या 286/2000 के तहत समीक्षा याचिका को प्राथमिकता दी गई और इसके खिलाफ भी 19 दिसंबर, 2000 को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था:

"केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, कानून द्वारा निर्धारित केरल उच्च न्यायालय इस कारण से लागू नहीं होगा क्योंकि वर्तमान मामले में,

इस अदालत ने प्रक्रियात्मक अवैधता के अभाव में पुरस्कार को रद्द नहीं किया था, बल्कि इसकी घोषणा के मद्देनजर केवल मुआवजे के पहलू के संबंध में इसे रद्द कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम की अनुसूची के पैराग्राफ 10(2) और 10(3) के प्रावधानों में धारा 23 में एक नया खंड 3(ए) और उप-

धारा (2) में एक प्रावधान जोड़ा गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23 अधिकार के बाहर है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की गारंटी का उल्लंघन है। विशेष नागरिक आवेदन संख्या 495/1967, 497/1967 और 452/1968 में दिनांक 08.07.1974 के फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि मामले को केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आधार पर प्रत्येक मामले में मुआवजे के संबंध में पुरस्कार पारित करने के लिए वापस भेज दिया गया था..."।

20. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

(i) सम्मिलन के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11ए के अनुसार, घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की निर्धारित अवधि के भीतर पुरस्कार देने के लिए उत्तरदाताओं की ओर से एक वैधानिक दायित्व है, ऐसा न करने पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी।

उक्त अधिनियम के प्रावधान को देखते हुए यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, वर्ष 1974 में पुरस्कार/पुरस्कारों को रद्द कर दिए जाने के बाद, अब तक उत्तरदाताओं द्वारा कोई नया पुरस्कार पारित नहीं किया गया था, और इसलिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11ए के

मद्देनजर पूरी भूमि कार्यवाही स्वचालित रूप से समाप्त हो गई।

(ii) जहां तक भूमि अधिग्रहण का सवाल है, नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता नहीं है। यद्यपि उक्त अधिनियम की धारा 39 और 45 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के समान हैं, भूमि अधिग्रहण की आगे की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। यह इससे स्पष्ट है नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 58, 59 और उससे जुड़ी अनुसूची का अवलोकन।

(iii) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11ए लंबित कार्यवाही पर भी लागू होती है। धारा 11ए 24 सितंबर, 1984 को लागू हुई और उस समय अपीलकर्ता की भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही लंबित थी। अपीलकर्ता के मामले में, अधिनियम की धारा 11ए इस प्रकार 19 सितंबर, 1991 से लागू होगी, यानी वह तारीख जब अपीलकर्ता ने रिट याचिका संख्या वापस ले ली थी। 191/1984, और, इसलिए, पुरस्कार 20 सितंबर, 1991 से दो साल की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं को निर्धारित समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहने पर, 20 जून, 1998 के अपने आदेश के तहत पहला प्रतिवादी था। कानून में यह अधिकार है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11ए के मद्देनजर अपीलकर्ता से संबंधित भूमि के संबंध में अब कोई पुरस्कार पारित

नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा 19 सितंबर, 1991 के बाद से, पहले प्रतिवादी द्वारा कोई पुरस्कार प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में, 9 फरवरी, 1999 तक पारित नहीं किया गया है।

21. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उदाहरण के मामले में, नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम की धारा 39 के तहत अधिसूचना 13 जून, 1963 को प्रकाशित की गई थी और इसी तरह 16 मार्च, 1967 को उक्त अधिनियम की धारा 45 के तहत अधिसूचना भी प्रकाशित की गई थी। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 27 अप्रैल, 1968 को एक पुरस्कार भी पारित किया। आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने रिट याचिका संख्या 452/1968 में प्रतिवादी द्वारा की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दी, और पक्षों को सुनने के बाद 8 जुलाई, 1974 को उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के मद्देनजर केवल मुआवजे के पहलू के संबंध में पुरस्कार को रद्द कर दिया कि अनुसूची के पैराग्राफ 10(2) और 10(3) नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अधिनियम, जहाँ तक वे धारा 23 में एक नया खंड 3 (ए) जोड़ते हैं और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में एक प्रावधान जोड़ते हैं, अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और अनुच्छेद 14 की गारंटी का उल्लंघन करते हैं। भारत का संविधान में यह तर्क दिया गया है कि उक्त कारणों से, रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देशित किया। उपरोक्त पहलू पर विचार करने के बाद एक नया पुरस्कार

पारित करें और पार्टियों को केवल मुआवजे के हिस्से की सीमा तक पूरा अवसर दें।

प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार तकनीकी आधार पर पुरस्कार को रद्द कर दिया गया था, इसलिए, नया पुरस्कार पारित करने के निर्देश के साथ मामला भूमि अधिग्रहण अधिकारी को वापस भेज दिया गया था। जहां तक अपीलकर्ता का सवाल है, वह कृषि भूमि का मालिक होने का दावा करता है यानी खसरा नंबर 1/1, मौज पारदी पीसी नंबर 17, तहसील और जिला में स्थित 10.80 एकड़ जमीन का। नागपुर और उत्तरदाताओं की उस योजना से कोई सरोकार नहीं है जिसके लिए अन्य भूमि विचाराधीन है। प्रश्नाधीन भूमि का कब्ज़ा बहुत पहले 1971 में लिया गया था। उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने 1981 के बाद से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 से अधिक फ्लैट विकसित और आवंटित किए हैं। नागपुर सुधार ट्रस्ट योजना को लागू करने के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भूमि का कब्ज़ा लेने के बाद, भूमि को छोटे आकार के भूखंडों में विकसित किया गया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवंटित किया गया।

अंततः यह तर्क दिया गया कि मौजूदा मामले में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11ए से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि उक्त धारा 24 सितंबर, 1984 को लागू की गई थी यानी 8 जुलाई के फैसले के 10 साल बाद। 1974 जिसमें पुरस्कार को

अवैध घोषित कर दिया गया।

22. तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और मामले की परिस्थितियों और पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों के आधार पर, हम खुद को प्रतिवादियों की ओर से की गई दलीलों और आक्षेपित फैसले में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले से पूरी तरह सहमत पाते हैं।

23. इसी तरह का प्रश्न कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में किए गए बाद के संशोधन स्वचालित रूप से राज्य अधिनियम यानी नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1936, पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 और यूपी आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (1966 का 1) पर लागू होंगे। इस न्यायालय द्वारा नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम वसंतराव और अन्य, (2002) 7 एससीसी 657 में उठाया और विचार किया गया था। प्रासंगिक पैराग्राफ 31 और 59 इस प्रकार पढ़ें:

> "31 अब हम इस पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधान, 1894 जैसा कि राज्य अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है, राज्य अधिनियमों में शामिल किया गया है या क्या राज्य अधिनियमों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम का केवल एक संदर्भ या उद्धरण है। इस विषय पर कानून अच्छी तरह से तय है। जब कोई पूर्व अधिनियम या उसके कुछ

प्रावधानों को बाद के अधिनियम में संदर्भ द्वारा शामिल किया जाता है, इस प्रकार शामिल किए गए प्रावधान बाद के अधिनियम का हिस्सा और पार्सल बन जाते हैं जैसे कि उन्हें इसमें भौतिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया हो। पहले के अधिनियम को बाद के अधिनियम में शामिल करना एक विधायी उपकरण है जिसे अपनाया गया है पहले के अधिनियम के प्रावधानों को बाद के अधिनियम में शब्दशः पुनरुत्पादित करने से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से। लेकिन इसे एक रेफरेंशियल कानून से अलग किया जाना चाहिए जिसमें केवल एक संदर्भ या पहले के क़ानून के प्रावधानों का उद्धरण शामिल है। ऐसे मामले में जहां एक क़ानून को, संदर्भ द्वारा, दूसरे क़ानून में शामिल किया जाता है, पहले क़ानून को तीसरे द्वारा निरस्त करने से दूसरे क़ानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाद का अधिनियम पिछले अधिनियम के सम्मिलित प्रावधानों के साथ एक स्वतंत्र कानून का गठन करता है जो पहले अधिनियम के संशोधन या निरसन द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं होता है। हालाँकि, जहां बाद के अधिनियम में मात्र एक है किसी पूर्व अधिनियम के संदर्भ में, संदर्भित क़ानून में संशोधन, निरसन या संशोधन का उस क़ानून पर भी प्रभाव पड़ेगा

जिसमें इसे संदर्भित किया गया है। यह समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि यह प्रश्न कि क्या किसी पूर्व क़ानून को बाद के कानून में केवल संदर्भित या उद्धृत किया गया है, या क्या यह उसमें पूर्ण या आंशिक रूप से शामिल है, निर्माण का प्रश्न है।

"59.जहां तक नागपुर अधिनियम और यूपी अधिनियम के तहत अधिग्रहण का सवाल है, उन्हें इस आधार पर चुनौती दी गई है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के अनुरूप अधिसूचना तिथि समाप्त होने के 3 साल से अधिक समय बाद की गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के अनुरूप अधिसूचना का प्रकाशन। यह इस धारणा पर था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को राज्य अधिनियमों में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि केवल संदर्भित किया गया था और 1967 के अधिनियम 13 द्वारा परंतुक जोड़कर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 में संशोधन लागू होगा। अधिग्रहण हमने पहले ही माना है कि राज्य अधिनियमों और उसकी अनुसूची द्वारा संशोधित भूमि

अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को राज्य अधिनियमों में शामिल किया गया है और इसलिए, भूमि अधिग्रहण (संशोधन और मान्यकरण) अधिनियम, 1967 द्वारा धारा 6 के बाद के संशोधनों को शामिल किया गया है। (1967 का अधिनियम 13) या 1984 के अधिनियम 68 द्वारा, राज्य अधिनियमों के तहत किए गए अधिग्रहण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया है जबकि बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ, नागपुर ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिए, जो अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हैं, उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए और जो अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ, नागपुर के फैसले के खिलाफ हैं, उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। चूंकि हमने माना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम राज्य अधिनियमों में शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बाद के संशोधनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राज्य अधिनियमों के तहत किए गए अधिग्रहणों पर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी की इस दलील पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि टीएम पीटर मामले (1980) 3 एससीसी 554 में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर

किसी भी समय की अनुपस्थिति- भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के अनुरूप अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य अधिनियमों में सीमा से राज्य अधिनियमों पर संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित सिद्धांतों का आह्वान करते हुए भेदभाव का आरोप नहीं लगेगा।"

24. हाल ही में गिरनार ट्रेडर्स में (3) बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2011) 3 एससीसी 1, एक प्रश्न कि क्या 1984 के केंद्रीय अधिनियम 68 द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के सभी प्रावधानों को महाराष्ट्र के अध्याय VII के तहत प्रावधान में पढ़ा जा सकता है अधिग्रहण के लिए क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 (संक्षेप में 'एमआरटीपी अधिनियम') इस न्यायालय के विचार के लिए आया। सवाल उठाया गया कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11ए अधिग्रहण के मामले में लागू है एमआरटीपी अधिनियम के तहत भूमि। इस मामले को विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजा गया था। उक्त मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा:

"69. किसी अधिनियम को "स्व-निहित कोड" होने के लिए, यह दिखाया जाना आवश्यक है कि यह उस उद्देश्य के लिए एक पूर्ण कानून है जिसके लिए इसे अधिनियमित

किया गया है। एमआरटीपी अधिनियम के प्रावधान संबंधित अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं की तैयारी, प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन से संबंधित हैं, जिनका उद्देश्य अव्यवस्थित विकास के विपरीत योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना है। भूमि में रुचि रखने वाला एक मालिक/व्यक्ति और जो इसकी इच्छा रखता है उचित स्तर पर योजनाओं पर आपत्ति करने के लिए एमआरटीपी अधिनियम में एक स्व-निहित न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है। यहां तक कि अपील का उपाय भी एमआरटीपी अधिनियम के तहत उपलब्ध है, जिसमें एक पूरा अध्याय नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए समर्पित है। न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। यह तय करने के पहलू कि क्या कोई विशेष क़ानून अपने आप में एक "संपूर्ण संहिता" है या नहीं।"

"86. सबसे पहले, हम देख सकते हैं कि फैसले के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में, हमने विशेष रूप से माना है कि एमआरटीपी अधिनियम एक स्व-निहित कोड है। एक बार ऐसा निष्कर्ष दर्ज हो जाने के बाद, किसी भी सिद्धांत का अनुप्रयोग अर्थात "संदर्भ द्वारा विधान" या "निगमन द्वारा विधान", विशेष रूप से अपना महत्व खो देगा जब दोनों

अधिनियम सह-अस्तित्व में रह सकते हैं और बिना किसी संघर्ष के संचालित हो सकते हैं।"

"135. किसी भी सिद्धांत को लागू करते समय न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि मूल क़ानून के प्रावधानों में कोई विकृति या विनाश न हो। इस पहलू की जांच के लिए, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम निगमन के सिद्धांत को लागू करते हैं या वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में। विधायी मंशा की रक्षा करते हुए इसे प्रभावी एवं पूर्ण कार्यशीलता की कसौटी पर परखना होगा। मुख्य रूप से, हमें यह जांचना होगा कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधानों को संदर्भ द्वारा एमआरटीपी अधिनियम के प्रावधानों में शामिल करने से एमआरटीपी अधिनियम की योजना बाधित होगी और इस अधिनियम के निष्पादन में कानूनी और व्यावहारिक बाधाएं पैदा होंगी।"

"137. न्यायालय एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि एमआरटीपी अधिनियम नियोजित विकास से संबंधित एक अधिनियम है और अधिग्रहण इसका एक आकस्मिक पहलू है। नियोजित

विकास केवल "सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति" से काफी अलग है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। किसी राज्य के विकास में विकास योजना, क्षेत्रीय योजना और नगर नियोजन योजना प्रमुख घटनाएँ हैं। वे पूरे राज्य के वृहद और सूक्ष्म नियोजन सहित विकास के लिए विभिन्न वित्तीय, वास्तुशिल्प और सार्वजनिक हित द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होते हैं।

138. नियोजित विकास से संबंधित प्रावधान राज्य या उसका कोई भाग, जिसे अधिनियम के उद्देश्य के साथ पढ़ा जाए, दर्शाता है कि ऐसी विकास योजनाओं की शुरुआत, अंतिम रूप देने और पूर्ण कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समय-सीमा की आवश्यकता होती है। इसलिए, एमआरटीपी अधिनियम की धारा 127 में बताई गई 10 वर्ष की अवधि को प्रथम दृष्टया मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधान, जिसके गंभीर परिणाम के कारण संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही समाप्त हो जाती है, को भौतिक रूप से हटा दिया जाता है और एमआरटीपी अधिनियम के प्रावधानों में पढ़ा जाता है, तो यह पूरी योजना को विफल कर देगा और इसे

अप्रभावी बना देगा और अनिश्चित केंद्रीय अधिनियम की धारा 11-ए के परिणाम को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक विकास योजना केवल इस कारण से विफल हो सकती है कि दो वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है और यह संपूर्ण विकास प्रक्रिया को समाप्त करने के समान होगा।

139. अपीलकर्ताओं के तर्क को खारिज करने का एक अन्य कारण यह है कि इस तरह के आरक्षण, आवंटन और पदनाम की योजना के पूर्ण और पूर्ण कार्यान्वयन के लिए, भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और एक बार तर्क के अनुसार अधिग्रहण, धारा 11-ए के आवेदन पर विफल रहता है। केंद्रीय अधिनियम के तहत, उन जमीनों को मालिकों को वापस करना होगा जबकि उसी योजना के तहत अन्य भूखंड मालिकों की जमीनें आरक्षण, आवंटन या पदनाम के तहत जारी रहेंगी। इससे भी योजना अव्यवहारिक हो जाएगी। यदि विधायिका ने एमआरटीपी अधिनियम में ऐसी कोई सीमा लागू नहीं करने का विकल्प चुना है, तो इसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ना अन्यायपूर्ण होगा और राज्य अधिनियम के तहत योजना को पूरी तरह से अव्यवहारिक बना देगा। यह निश्चित रूप से विधायी मंशा नहीं है।

1.40. इस प्रकार, हमारे विचार में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11-ए को एमआरटीपी अधिनियम के अध्याय VII में पढ़ने से राज्य अधिनियम के मूल प्रावधान अप्रभावी, अव्यवहारिक हो जाएंगे और अधिनियम के उद्देश्य को भौतिक रूप से विफल कर सकते हैं।"

25. इस न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, हम मानते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों को छोड़कर, जो राज्य अधिनियम में विधायी रूप से शामिल थे, नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 अपने आप में पूर्ण कोड है। 1984 के अधिनियम 68 के तहत धारा 11ए शामिल करने सहित भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बाद के संशोधनों का नागपुर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1966 के तहत किए गए या किए जाने वाले अधिग्रहण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

26. मुद्दे के दूसरे अंग के संबंध में , हम खुद को इस दलील से पूरी तरह सहमत पाते हैं कि वैधानिक प्रावधान के अभाव में, समीक्षा आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। स्पष्टीकरण की आड़ में भी, पहले के आदेश को संशोधित या सही नहीं किया जा सकता है। (देखें कलाभारती एडवरटाइजिंग बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य, (2010) 9 एससीसी 437)।

27. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 28 अगस्त,

2000 के आक्षेपित निर्णय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "10. 8 जुलाई, 1984 के उपर्युक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का अवलोकन निस्संदेह यह स्पष्ट करता है कि किसी भी प्रक्रियात्मक अवैधता के अभाव में पुरस्कार को रद्द नहीं किया गया था; हालाँकि, इसे केवल उन प्रावधानों की सीमा तक रद्द कर दिया गया था, जिनका यहां ऊपर उल्लेख किया गया है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दिया गया था जो निस्संदेह केवल मुआवजे के पहलू से संबंधित है।"

> "13. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी राय में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 (ए) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि पुरस्कार धारा 11 (ए) वर्ष 1984 में अस्तित्व में आने से पहले ही दिया जा चुका था। इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है और विफल होना चाहिए।"

28. इस तरह के निष्कर्ष के मद्देनजर, इस सवाल पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है कि क्या कलेक्टर के पास योग्यता के आधार पर समीक्षा की शक्ति है, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का

कोई आधार नहीं मिलता है।

29. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने 17 जनवरी, 1992 के सरकारी संकल्प के लाभ के लिए अपीलकर्ता की पात्रता पर विचार करने के लिए 2008 का IA नंबर 9 दाखिल करके एक वैकल्पिक प्रार्थना की, लेकिन उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने बताया कि ऐसी राहत का दावा पहले ही किया जा चुका है। अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसे उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर, 2001 को खारिज कर दिया था। इसलिए, वर्तमान अपील में ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

30. निर्णय सुरक्षित होने के बाद, अपीलकर्ता ने एक और आईए नंबर 13-14/2014 दायर किया है जिसमें कहा गया है कि "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार" 1 जनवरी, 2014 से लागू हो गया है, लेकिन हम ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेने के इच्छुक नहीं हैं जो उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया हो।

31. उपरोक्त कारणों से, अंतरिम आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं और अपीलें खारिज कर दी जाती हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

निधि जैन अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विशेष नागरवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।